संख्या-32/2021/422/छप्पन-2021-153/2000

प्रेषक,

डॉ सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन
उ0प्र0 लखनऊ

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 09 मार्च , 2021

विषय: राजकीय बेल 412 वीटी-यू0पी0ओ0 हेलीकाप्टर के 03 कंपोनेंट्स का 3000 घंटे पूर्ण होने पर ओवरहॉल कराए जाने हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 551/CADUP/ENG(PUR)/UPO-04/2020 दिनांक 16 फरवरी, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया है कि राजकीय हेलीकाप्टर बेल 412ईपी वीटी-यू.पी.ओ. के 3 कम्पोनेन्ट्स का 3000 घण्टे पूर्ण होने पर ओवरहाल कराये जाने से सम्बंधित कार्य मेसर्स M/S. Able Aerospace Services, U.S.A. से कराये जाने हेतु साख पत्र के माध्यम से 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सम्मिलित करते हुए रूपये 76,48,542/- तथा होने वाले अनुषांगिक व्यय रूपये 32,70,249/- को सम्मिलित करते हुए कुल रूपये 1,09,18,791/- (रूपये एक करोड़ नौ लाख अट्ठारह हजार सात सौ इक्यानबे) मात्र की वित्तीय स्वीकृति एवं अग्रिम आहरण किये जाने के निमित्त शासनादेश संख्या-14/2021/229/छप्पन-2021-153/2000 दिनांक 06 फरवरी, 2021 के साथ पठित शासनादेश संख्या-70/2020/1687/ छप्पन-2020-53/2000 दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 के द्वारा प्रदान की गई है। इस निर्गत वित्तीय स्वीकृति के संदर्भ में अवगत कराया गया है कि दिनांक 12 फरवरी, 2021 को फर्म से प्राप्त ईमेल एवं इन्वायस संख्या 505299 के द्वारा अवगत कराया गया है कि 03 कम्पोनेन्ट में से एक कम्पोनेन्ट ''Transmission Assembly" के प्री असेम्बली NDT (Non Destructive Testing) के चेक्स के समय उक्त असेम्बली के एक क्रिटिकल पार्ट "Transmission Support Case Assembly" में Crack पाया गया है। इस पार्ट को बदलने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। अतः श्री राज्यपाल फर्म द्वारा फाइनल कास्ट स्टीमेट द्वारा प्रेषित की गई दरों के अनुसार राजकीय बेल 412 ईपी, VT-UPO हेलीकाप्टर के 03 कंपोनेंट्स के 3000 घंटे पूर्ण होने पर ओवर हॉल के कार्य में एक कम्पोनेन्ट "Transmission Assembly Part no. 412-706-029-127 (sl. no. A-696)" के प्री असेम्बली चेक्स NDT (Non Destructive Testing) में Crack घोषित क्रिटिकल पार्ट "Transmission Support Case Assembly" के ओवरहाल/ रिपेयर पर होने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वाले अतिरिक्त व्यय यू.एस. डालर 47161.00 भारतीय मुद्रा में लेटर आफ क्रेडिट मार्जिन 10 प्रतिशत सहित कुल रूपये 40,46,414/- तथा मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप मेसर्स सी जी लाजिस्टिक्स प्रा0 लि0, नई दिल्ली को भुगतान किये जाने वाले अनुषांगिक व्यय के रूप में रूपये 16,35,125/- को सम्मिलित करते हुए कुल रूपये 56,81,539.00 (रूपये छप्पन लाख इक्यासी हजार पॉच सौ उनतालिस) मात्र अर्थात् प्रश्नगत कार्य को M/s Able Component Aerospace Service Inc.,7706 Velocity Way, Mesa, AZ 85212, U.S.A. से कराए जाने हेतु कुल रू0 1,66,00,330/- (रूपये एक करोड़ छियासठ लाख तीन सौ तीस मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अग्रिम आहरण की स्वीकृति के साथ शासनादेश संख्या- 70/2020/1687/छप्पन-2020-153/2000 दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 के क्रम में 14/2021/229/छप्पन-2021-153/2000 दिनांक 06 फरवरी, 2021 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 1,09,18,791/- (रूपये एक करोड़ नौ लाख अट्ठारह हजार सात सौ इक्यानबे मात्र) को घटाते हुए अवशेष धनराशि रू0 56,81,539/- (रूपए छप्पन लाख इक्यासी हज़ार पांच सौ उनतालीस मात्र) को व्यय/अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त दोनों कम्पोनेन्ट्स का ओवरहाल वर्तमान संगत नियमों के अन्तर्गत कराया जायेगा तथा शासन का हित सुरक्षित रखने की दृष्टि से आहरित धनराशि के भुगतान के लिये निर्धारित नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण, भुगतान एवं समायोजन में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 एवं सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान फर्म को करने के उपरान्त स्वीकृत धनराशि के समायोजन की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाएगा। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाएगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ो में भी समायोजन करा दिया जाए।

5- उक्त अग्रिम का आहरण वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69 दिनांक 25/10/1983, शा0 सं0 ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69 दिनांक 10/06/2011 एवं शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1) दिनांक 18/09/2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा। वित्तीय स्वीकृति एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति सम्बन्धी शर्तें शासनादेश दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार यथावत रहेंगी।

6- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 38 के अधीन पूँजीगत ''लेखा लेखाशीर्षक - 5053-नागर विमानन पर पूँजीगत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-हेलीकाप्टर/वायुयान की विशेष मरम्मत-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- ई-7-440/दस-2021 दिनांक 09 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
डॉ सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव

संख्या: 32/2021/422(1)/छप्पन-2021-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-10
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।